सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/446 दर्ज तिथिः–12.09.2024

वादी		प्रतिवादी
ओएनजीसीएल लिमिटेड	बनाम	राणसिंह पुत्र शिवसिंह
जरिये अधिवक्ता श्री मुकेश जैन		जरिये अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908
निर्णय तिथिः–24.03.2025

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के धारा–151 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा निवेदन किया:–
   - कि हाजा अदालत द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 123/23 बउनवान राणसिंह बनाम आम्बाराम निर्णय दिनांक 14.06.2024 को निर्णित करते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी को आराजी खसरा संख्या 197, 197/2 व 197/7 मौजा धांधलावास की नेखमबंदी किए जाने के आदेश दिए गए है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 20 के रूप में पक्षकार रिकॉर्ड पर था।
   - असल में आराजी खसरा संख्या 197, 197/2 व 197/7 मौजा धांधलावास के पूर्व खातेदार लालसिंह से मूल खसरा संख्या 197 रकबा 39–08 बीघा में से 10–14 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 20 द्वारा खरीद कर अवाप्त की थी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 20 द्वारा खरीद कर अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 197/1 पर प्राकृतिक तेल व गैस के उत्खनन हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी खसरा संख्या 197, 197/2 व 197/7 मौजा धांधलावास तथा अप्रार्थी संख्या 20 द्वारा खरीद कर अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 197/1 की सीमाए स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 20 के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद नहीं है।
   - कि उक्त प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 31.03.2024 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी राणसिंह का सीमा विवाद अप्रार्थी संख्या 20 द्वारा खरीद कर अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 197/1 से नहीं होकर खसरा संख्या 195 के खातेदारों के साथ है।
   - कि इस आधार पर अप्रार्थी संख्या 20 द्वारा खरीद कर अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 197/1 की सीमा को लेकर प्रार्थी का उक्त प्रार्थना–पत्र संख्या 123/23 चलने योग्य नहीं था। इस प्रकार उक्त प्रार्थना–पत्र संख्या 123/23 के आदेश दिनांक 14.06.2024 में अप्रार्थी संख्या 20 के उपर प्रभावी नहीं होने का खुलासा किया जाना आवश्यक था। परंतु उक्त प्रार्थना–पत्र संख्या 123/23 के आदेश दिनांक 14.06.2024 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 20:12:40 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 20 के उपर प्रभावी नहीं होने का खुलासा नहीं किए जाने से प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड व कार्यवाही की गलती स्पष्ट होती है। इस कारण उक्त प्रार्थना—पत्र संख्या 123/23 के आदेश दिनांक 14.06.2024 में अप्रार्थी संख्या 20 के उपर प्रभावी नहीं होने को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। इस आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी का पुनरावलोकन का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रकरण में वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के धारा—151 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र को खारिज करने का अनुरोध करते हुए सीधे बहस कर निम्न प्रकार निवेदन किया—

   - कि प्रतिवादी द्वारा बिना पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए पुनरवलोकन कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी के नेखमबंदी आदेश की पालना को लंबित रखने के लिए प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना—पत्र सारहीन व गलत मंशा से प्रस्तुत किए जाने के कारण काबिल—ए—खारिज है।

3. प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। इसी प्रकार दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है।

4. इस संबंध में विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के धारा—151 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—114 के तहत कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। परंतु सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के धारा—151 के तहत किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु सीमा निर्धारित की गई है। उक्त सीमाएं निम्न प्रकार हैंः—

   - किसी प्रकरण में निर्णय के पश्चात् महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उपस्थित होना।
   - किसी प्रकरण में निर्णय में रिकार्ड या प्रक्रिया की त्रुटि होना।
   - अन्य कोई महत्वपूर्ण त्रुटि होना।

5. इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के धारा—151 के तहत किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु प्रथम बिन्दु के तहत किसी प्रकरण में निर्णय के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उपस्थित होना आवश्यक है। उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के धारा—151 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में निर्णय के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उपस्थित होना ही पर्याप्त नहीं है। अपितु पुनरावलोकन हेतु याची को यह साबित करना अनिवार्य है कि प्रकरण के निर्णय के समय उक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों की वजह से असमर्थता या तत्समय उक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्यों तक पहुंच या जानकारी याची को उपलब्ध नहीं थी। यहां यह लेखनीय है कि किसी प्रकरण में निर्णय के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उपस्थित होना ही पर्याप्त नहीं है। अपितु किसी प्रकरण में निर्णय के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उक्त निर्णय को पारित, प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला तथ्य/साक्ष्य होना भी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 20:12:49 IST
Reason: SelfAttested

6. इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के धारा–151 के तहत किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु द्वितीय बिन्दु के तहत किसी प्रकरण में निर्णय में रिकार्ड या प्रक्रिया की त्रुटि होना आवश्यक है। उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के धारा–151 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में निर्णय में रिकार्ड या प्रक्रिया की त्रुटि प्रकरण के रिकार्ड पर स्पष्ट साबित हो। किसी प्रकरण में पत्रावली के तथ्यों के गहन अवलोकन व विश्लेषण तथा तार्किक मनन के पश्चात् किसी त्रुटि को खोजना या त्रुटि तक पहुचना पुनरावलोकन याचिका में अनुमत नहीं है। यहां उल्लेखनीय है कि किसी प्रकरण में निर्णय में रिकार्ड या प्रक्रिया की त्रुटि होना प्रकरण के रिकार्ड के प्रथमदृष्टया अवलोकन से स्पष्ट होना है।

7. इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के धारा–151 के तहत किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु तृतीय बिन्दु के तहत किसी प्रकरण में निर्णय में अन्य कोई महत्वपूर्ण व पर्याप्त कारण होना आवश्यक है। उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के धारा–151 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में निर्णय में अन्य कोई महत्वपूर्ण व पर्याप्त कारण होना प्रकरण के रिकार्ड पर स्पष्ट साबित हो। यहां उल्लेखनीय है कि किसी प्रकरण में निर्णय में अन्य कोई महत्वपूर्ण व पर्याप्त कारण की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। परन्तु निर्णय में अन्य कोई महत्वपूर्ण व पर्याप्त कारण का क्षेत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के धारा–151 के प्रावधान में उल्लेखित प्रथम दो बिन्दुओं से सुसंगत होना चाहिए।

8. प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के धारा–151 के प्रावधानों की व्याख्या व विधि की स्थिति को जानने के पश्चात् अब प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 31.03.2024 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी राणसिंह का सीमा विवाद अप्रार्थी संख्या 20 द्वारा खरीद कर अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 197/1 से नहीं होकर खसरा संख्या 195 के खातेदारों के साथ है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना–पत्र संख्या 123/23 के आदेश दिनांक 14.06.2024 में अप्रार्थी संख्या 20 के उपर प्रभावी नहीं होने का खुलासा किया जाना आवश्यक था।

9. प्रकरण में पत्रावली की फर्द अहकाम के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 31.03.2024 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी राणसिंह का सीमा विवाद अप्रार्थी संख्या 20 द्वारा खरीद कर अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 197/1 से नहीं होकर खसरा संख्या 195 के खातेदारों के साथ है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना–पत्र संख्या 123/23 के आदेश दिनांक 14.06.2024 में अप्रार्थी संख्या 20 के उपर प्रभावी नहीं होने का खुलासा किया जाना आवश्यक था।

10. इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के धारा–151 के तहत प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु द्वितीय बिन्दु के तहत किसी प्रकरण में निर्णय में रिकार्ड या प्रक्रिया की त्रुटि होना आवश्यक है। जब प्रार्थी की खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 20 की [illegible] के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद ही नहीं है। उस स्थिति का [illegible] स्पष्ट उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विश्लेषण से प्रती[illegible] की प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के धारा–151 के [illegible] के अंतर्गत प्रतीत होता है। अतः प्रकरण का पुनरावलोकन किया जाना उचित [illegible]तीत होता है। अतः

आदेश है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 20:12:40 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा उक्त सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के धारा—151 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है। हाजा अदालत द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 123/23 बउनवान राणसिंह बनाम आम्बाराम निर्णय दिनांक 14.06.2024 में अप्रार्थी संख्या 20 की आराजी को अप्रभावित रखे जाने के संबंध में स्पष्ट अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24.03.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 20:12:40 IST
Reason: SelfAttested